



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-1/अका./प्रवेश/2021/1004

रायगढ़, दिनांक 22.09.2021

-:: अधिसूचना ::-

सत्र 2021-22 के लिये इस विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 2-1/अका./प्रवेश/2021/876, दिनांक 09.09.2021 के आधार पर निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेशित छात्र छात्राओं के बाद भी यदि किसी महाविद्यालय में संबद्धता प्राप्त पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण सीटें रिक्त हैं, ऐसे महाविद्यालयों के लिये क्रमशः चतुर्थ चरण में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न करने के लिये निम्नलिखित समय सारिणी जारी की जाती है।

क्रं.	विवरण	तिथि
1.	चतुर्थ चरण में स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महाविद्यालय के द्वारा उनके कॉलेज के डेशबोर्ड से Portal Reopen Request करके ऑनलाईन माध्यम से छात्रों के द्वारा आवेदन प्राप्त किये जाने के लिए निर्धारित तिथि	गुरुवार, 23.09.2021 से सोमवार, 27.09.2021 रात्रि 12:00 बजे तक।
2.	चतुर्थ चरण में स्नातक/स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महाविद्यालय के द्वारा उनके कॉलेज के डेशबोर्ड से आवेदकों की प्राप्त सूची डाउनलोड करने के पश्चात मेरिट सूची जारी कर प्रवेश देने एवं पोर्टल पर प्रवेशित छात्रों की आई.डी पोर्टल पर लॉक/एडमिट करने की अंतिम तिथि	गुरुवार, 30.09.2021 रात्रि 12:00 बजे तक।

नोट:- समस्त संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य, सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना में दिये गये नियमों का अनिर्वायतः पालन करते हुए प्रवेश प्रक्रिया संपादित करें।

(कृष्ण कुमार चंद्राकर)

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 22.09.2021

पृ.क्र. 2-1/अका./प्रवेश/2021/1005

प्रतिलिपि:-

01. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय जी के सादर सूचनार्थ।
02. समस्त संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
03. कार्यालय प्रति।

प्रभारी अधिकारी (अका.)